sw H S The
Jumi Website पर
Upload करें
14.10.14

झारखण्ड़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्
JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD
T.A Division Building (Ground Floor) HEC Campus, Dhurwa, Ranchi- 834004.
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, Fax No:- 2400850..

अधिसूचना संख्या B - 01 — राँची, दिनांक 01/01/13

:: अधिसूचना ::

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् मंडल की 25वीं बैठक दिनांक 08.02.2012 के कार्यावली संख्या–3 में लिये गये निर्णय के आलोक में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या–बी–29012/1/2012/ई0एस0एस0/1537 दिनांक 04.06:12 द्वारा निर्धारित लाल (Red), नारंगी (Orange) व हरी (Green) श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों के वर्गीकरण को पर्षद में लागू किया जाता है।

इकाईयों के वर्गीकरण संबंधी पर्षद के द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 22 दिनांक 22.03.2005, ज्ञापांक 1163, दिनांक 22.03.05, इसमें समय–समय पर किये गये संशोधन एवं पर्षद अधिसूचना संख्या 14, दिनांक 21.0711 के द्वारा निर्गत समेकित NOC Guideline में इकाईयों के वर्गीकरण संबंधी निदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा इसमें उल्लेखित अन्य वर्णित शर्त्तें एवं प्रावधान पूर्ववत् लागू रहेंगे।

ऐसे उद्योग जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के पत्रांक बी–29012/ 1/ 2012 / ई0एस0एस0 /1537 दिनांक 04.06.12 के साथ संलग्न Red, Green एवं Orange श्रेणी के औद्योगिक इकाई की सूची में शामिल नहीं है, उसका वर्गीकरण पर्षद द्वारा पूर्व से निर्धारित NOC Guideline (पर्षद अधिसूचना संख्या–22 दिनांक 22.03.05/अधिसूचना संख्या 14 दिनांक 21.07.11) के अनुरूप मान्य होगा।

यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

ह0/–
(एस० के० सिन्हा)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक B - 01 — राँची, दिनांक 01/01/13

प्रतिलिपिः अध्यक्ष/सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस० के० सिन्हा)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक B-01 — राँची, दिनांक 01/01/13

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग झारखण्ड सरकार,, राँची/सचिव, उद्योग विभाग,झारखण्ड सरकार,राँची को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दिल्ली को पत्रांक बी–29012/1/2012/ई0एस0एस0 1537 दिनांक 04.06.12 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 यथोक्त

(एस० के० सिन्हा)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक B 01 — राँची, दिनांक 01/01/13

प्रतिलिपिः पर्या0 अभियंता, मुख्यालय, राँची/पर्षद विश्लेषक, रॉची/सभी सहायक पर्या0 अभियंता/सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/स0 वैज्ञानिक पदा0/कनीय पर्या0 अभि0 एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 यथोक्त

Sinha 1/1/13
(एस० के० सिन्हा)
सदस्य सचिव

(68)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर
दिल्ली- 110032

सं.बी-29012/1/2012/ई.एस.एस. 1537 | दिनांक: 04.06.2012

सेवा में,

अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.ए.भवन, एच.ई.सी. कॉम्पलेक्स,
धुरवा, राँची (झारखंड) - 834 004

विषय: जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (ख) के अंतर्गत, उद्योगों के लाल, नारंगी व हरी श्रेणी में वर्गीकरण हेतु निर्देश

जबकि, जल अधिनियम, 1974 की धारा 16 (ख) के अंतर्गत, अन्य कार्यों के अतिरिक्त, केन्द्रीय बोर्ड का एक कार्य राज्य बोर्डों की गतिविधियों का समन्वयन करना है।

जबकि, जल अधिनियम, 1974 की धारा 16 (ग) के अंतर्गत, केन्द्रीय बोर्ड का एक कार्य राज्य बोर्ड को तकनीकी सहायता प्रदान करना है।

जबकि, केन्द्रीय बोर्ड की जानकारी में लाया गया है कि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां उद्योगों को लाल, हरी व नारंगी श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए भिन्न-भिन्न मापदण्ड अपना रही हैं। इस वर्गीकरण के आधार पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां उद्योगों को सहमति प्रदान करती हैं तथा उद्योगों का सूचीकरण करती हैं।

जबकि, दिनांक 31 अगस्त, 2010 को आयोजित केंद्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों के 56वें सम्मेलन में उद्योगों के वर्गीकरण के विषय पर चर्चा की गई थी तथा लाल, हरी व नांरगी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उद्योगों की एक समेकित सूची तैयार करने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों का एक कार्य समूह गठित किया गया था ताकि पूरे देश में उद्योगों के वर्गीकरण में एकरूपता लाई जा सके।

जबकि, कार्य समूह द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर दिनांक 15.09.2011 को दिल्ली में आयोजित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के अध्यक्षों व सदस्य सचिवों के 57वें सम्मेलन में चर्चा की गई तथा कुछ संशोधन प्रस्तावित किये गये।

जबकि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के अध्यक्षों व सदस्य सचिवों के 57वें सम्मेलन में दिये गये सुझावों/की गई टिप्पणियों के आधार पर कार्य समूह की अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई है।

7141 19/6/12

क्रमशः 2

अत: अब, जल अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (ख) के अंतर्गत अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित निर्देश अनुपालन हेतु जारी किये जाते हैं:

(क) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा उद्योगों को सहमति प्रदान करने/उद्योगों का लाल, हरी व नारंगी श्रेणी में सूचीकरण करने तथा अन्य संबंधित कार्यकलापों हेतु संलग्न रिपोर्ट की तालिका 7.3, 7.4 व 7.5 में दी गई सूची अपनाई जाय ताकि उद्योगों को लाल, हरी व नारंगी श्रेणियों में वर्गीकृत करने में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

(ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां, उनके पास उपलब्ध लाल, हरी व नारंगी श्रेणी के उद्योगों की सूची को, अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में, संलग्न रिपोर्ट में विनिर्धारित मापदण्ड के आधार पर संशोधित करेंगी तथा इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर इसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेंगी। इसकी हार्ड व सॉफ्ट कॉपी दोनों प्रस्तुत की जाये।

इन निर्देशों की प्राप्ति के एक माह के भीतर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन निर्देशों के अनुपालन हेतु की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय।

(मीरा महर्षि)
अध्यक्ष

सेवा में,

1. निदेशक (सी.पी)
   पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
   पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स,
   लोदी रोड,
   नई दिल्ली – 110003
2. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी आंचलिक कार्यालय/प्रभाग

(मीरा महर्षि)

- As suggested during the 57[th] Conference of Chairmen & Member Secretaries, List of 17 Red Category & Other Red category industries are merged and list of Green category and Orange category of industries are modified considering pollution potential of the industrial activities.

THE FINAL LIST OF RED, GREEN AND ORANGE CATEGORY IS GIVEN IN TABLE 7.3, 7.4 & 7.5 RESPECTIVELY.

Table 7.3 : List of Red category of industries

Sl No.	List of RED category Industry
1.	Airports, and Commercial Air Strips
2.	Aluminium smelter
3.	Asbestos and asbestos based industries
4.	Automobiles Manufacturing (Integrated facilities)
5.	Basic Chemicals and electro chemicals and its derivatives including manufacture of acids
6.	Ceramic , Refractories
7.	Cement
8.	Chlor Alkali
9.	Chlorates, perchlorates and peroxides
10.	Chlorine, fluorine, bromine, iodine, and their compounds
11.	Coal Washeries
12.	Copper smelter
13.	Coke making , liquefaction, coal tar distillation or fuel gas making
14.	Common Treatment and disposal facilities (CETP, TSDF, E-Waste recycling, CBMWTF, Effluent conveyance project, incinerators, Solvent/Acid recovery plant, MSW sanitary landfill sites, STP)
15.	Distillery including Fermentation industry
16.	Dyes and Dye-Intermediates
17.	Dry coal processing/ mineral processing, industries involving ore sintering, palletisation, grinding ,pulvarization
18.	Emulsion of oil & water
19.	Fermentation industry including manufacture of yeast, beer, distillation of alcohol (ENA)
20.	Fertilizer (basic) (excluding formulation)
21.	Ferrous and Non ferrous metal extraction involving different furnaces through melting ,refining, reprocessing,casting and alloy making
22.	Fibre glass production and processing (Excluding moulding)
23.	Fire crackers manufacturing and bulk storage facilities
24.	Flakes from rejected PET bottle
25.	Fly ash export , transport and disposal facilities